श्री नवदीप शुक्ला, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 18-02-2019 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी साप्ताहिक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। जिलाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम 7 निश्चय के तहत् चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की गयी।

(1) डी0आर0सी0सी0 :-

❖ ***स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड / स्वयं सहायता भत्ता योजना*** :- जिलाधिकारी द्वारा स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना में धीमी प्रगति एवं जिला का रैंक नीचे गिरने पर असंतोष व्यक्त किया गया एवं जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा एवं प्रबंधक, डी0आर0सी0सी0, मधेपुरा को स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना में निर्धारित समय-सीमा के अंदर अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

❖ ***के0वाई0पी0*** :- जिलाधिकारी द्वारा के0वाई0पी0 की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त के0वाई0पी0 में प्रगति संतोषप्रद पाया गया। जिलाधिकारी द्वारा प्रबंधक, डी0आर0सी0सी0, मधेपुरा एवं जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु नियमित रूप से अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-जिला योजना पदा0 /प्रबंधक, डी0आर0सी0सी0, मधेपुरा)

(2) पी0एच0ई0डी0 :-

कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि हर घर नल का जल (ग्रामीण) में जिन 11 योजनाओं में फरवरी, 2019 में कार्य पूर्ण कर लेने का एकरारनामा किया गया है, वह योजना माह-फरवरी, 2019 में पूर्ण हो जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि जिन-जिन योजनाओं में एकरारनामा हो चुका है, उन कार्यो को निर्धारित समय-सीमा के अंदर मानक के अनुरूप पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही माहवार निर्धारित किये गये लक्ष्य का प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा आगामी लोक सभा निर्वाचन, 2019 के मद्देनजर जिन बूथों पर पेयजल की व्यवस्था नहीं है, उन बूथों को चिन्हित कर पेयजल आपूर्ति हेतु चापाकल लगवाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-कार्य0अभि0, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा)

(3) नगर परिषद् :-

❖ ***ओ0डी0एफ0*** :- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि मधेपुरा नगर परिषद् क्षेत्र में सात निश्चय योजना के तहत् सभी वार्ड ओ0डी0एफ0 घोषित हो गया है। बताया गया कि द्वितीय किश्त का भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि नियमानुसार द्वितीय किश्त का भुगतान करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

❖ ***नली-गली*** :- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में 68 योजनाओं की स्वीकृति मिली थी, जिसमें 57 योजना पूर्ण हो गया है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2018-19 में 128 योजना का निविदा का प्रकाशन हेतु अपलोड किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि स-समय नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

❖ ***नल का जल*** :- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि 26 वार्ड में नल का जल के तहत् 13 वार्ड में बी0आर0जी0पी0 के द्वारा किया जा रहा है, जबकि 13 वार्ड में नगर परिषद् योजना के तहत् किया जाना है, जिसमें बी0आर0जी0पी0 के द्वारा अभी तक 1024 कनेक्शन दिया गया है तथा नगर परिषद् के द्वारा 3073 अर्थात कुल 4097 घरों में कनेक्शन दिया जा चुका है। निदेश दिया गया कि स-समय नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

❖ ***बस स्टैण्ड*** :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र हस्तांतरण कर बस स्टैण्ड को चालू कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-कार्य0पदा0,नगर परिषद्, मधेपुरा /जिला पंचायत राज पदा0 /उप विकास आयुक्त)

(4) डी0डी0टी0 छिड़काव कर्मी एवं अनौपचारिक शिक्षा अनुसेवी :-

❖ ***डी0डी0टी0 छिड़काव कर्मी*** :- जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि डी0डी0टी0 छिड़काव कर्मी का रोस्टरवार पैनल निर्माण कर सिविल सर्जन, मधेपुरा द्वारा विभाग को भेजा जाएगा। सिविल सर्जन, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि अविलम्ब उक्त सूची विभाग को भेजी जाए।

❖ ***अनौपचारिक शिक्षा अनुसेवी*** :- अनौपचारिक शिक्षा अनुसेवी के समायोजन के संबंध में बताया गया कि सभी विभागों से रिक्ति प्राप्त कर समायोजन हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु सभी संबंधित विभाग को पत्राचार किया गया है तथा निदेशित किया गया है कि अपने-अपने कार्यालय का उक्त प्रतिवेदन तैयार कर यथाशीघ्र विभाग को भेजा जाए। जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि अविलम्ब वांछित प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि अपने स्तर से सभी विभाग को पुनः स्मारित करना सुनिश्चित करें तथा विभाग को उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन संकलित कर अधोहस्ताक्षरी को आगामी सोमवारीय बैठक में समर्पित करेंगे।

(अनुपालन-जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /सभी संबंधित पदा0 /सिविल सर्जन)

(5) लोकायुक्त :-

जिलाधिकारी द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, लोकायुक्त कोषांग, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि लोकायुक्त से संबंधित सभी मामलों का 31 मार्च, 2019 तक अनिवार्य रूप से शत-प्रतिशत अनुपालन कर विभाग को प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-प्रभारी पदा0, लोकायुक्त कोषांग, मधेपुरा)

(6) भवन :-

❖ ***PGRO भवन*** :- जिलाधिकारी द्वारा सहायक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा से जिला लोक शिकायत निवारण, मधेपुरा, अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज कार्यालय भवन निर्माण के संबंध में पृच्छा की गयी। सहायक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया

गया कि 20 फरवरी, 2019 को सामग्री आ जाएगा। तत्पश्चात् निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि व्यवहार न्यायालय के एक कमरा में अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण कार्यालय, उदाकिशुनगंज चल रहा है, जिसके लिए लगातार उच्च न्यायालय से हस्तांतरण के संबंध में कार्यपालक अभियंता /सहायक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उक्त कार्यालय के भवन निर्माण कार्य मानक के अनुरूप गुणवत्ता के साथ यथाशीघ्र प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें।

❖ ***बाल मित्र न्यायालय*** :- जिलाधिकारी द्वारा बाल मित्र न्यायालय के संचालन हेतु 8 कोर्ट भवन, मधेपुरा के एक कमरे का जीर्णोद्धार कार्य के संबंध में पृच्छा की गयी। सहायक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो लगभग एक महिना के अंदर पूर्ण हो जाएगा। निदेश दिया गया कि उक्त निर्माण कार्य विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में स-समय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-कार्य0अभि0 /सहायक अभियंता, भवन)

(7) कल्याण :-

जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पुलिस अधीक्षक, अपराध इकाई, बिहार, पटना द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के प्री-मैट्रिक छात्रवृति की राशि का वितरण सूची हार्ड कॉपी /सॉफ्ट कॉपी में मांग की गयी है, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि हरहाल में एक सप्ताह में अंदर सभी विद्यालयों से सूची प्राप्त कर (हॉड कॉपी /सॉफ्ट कॉपी) जिला कल्याण कार्यालय, मधेपुरा को उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि पुलिस अधीक्षक, अपराध इकाई, बिहार, पटना को स-समय भेजा जा सके। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि पूर्व में भी इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र दिया जा चुका है, परन्तु अभी तक इसका अनुपालन नहीं हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि अविलम्ब वांछित सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-जिला कल्याण पदा0, मधेपुरा)

(8) कृषि :-

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना :- जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि लघु एवं सीमांत कृषक परिवार जिनके पास कृषि योग्य भूमि 02 हेक्टेयर या 02 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भू-धारी किसान परिवार को 6000/-रू0 प्रतिवर्ष, प्रत्येक 04 महिना पर 2000/-रू0 तीन बराबर किश्तों में दिया जायेगा। इस योजनान्तर्गत योग्य लाभान्वित किसान को दिनांक 01-12-2018 से दिनांक 31-03-2019 के लिए प्रथम किश्त की राशि दी जायेगी। इसके लिए कोई भी किसान अपनी पात्रता प्रमाणित करने के लिए विभागीय पोर्टल पर जाकर आवेदन में अपना विवरणी भरेंगे। किसानों को राज्य सरकार द्वारा निबंधन संख्या प्राप्त करना आवश्यक होगा। आवेदन प्राप्त होने के उपरांत 05 दिनों के उपरांत कृषि समन्वयक पंचायत में जाकर किसान के द्वारा दिये गये विवरणी की जांच करेंगे तथा आवेदक के किसान होने का सत्यापन करेंगे। साथ ही किसान से साक्ष्य प्राप्त कर उसे ऑनलाईन पोर्टल से अंचल अधिकारी को अग्रसारित कर देंगे। लाभुक किसान द्वारा धारित जमीन से प्रविष्टियों एवं रकवा की भूमि अभिलेखों से जांच की जिम्मेवारी अथवा अधिकारी की होगी। अंचल अधिकारी प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को अंचल में इस योजना के लिए विशेष बैठक करेंगे, जिसमें अंचल के सभी राजस्व कर्मचारी एवं कृषि समन्वयक भाग लेंगे तथा अपनी सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे। अंचल अधिकारी जांचोपरान्त प्राप्त सूची को 05 दिनों के अंदर अपर समाहर्त्ता, राजस्व को अग्रसारित करेंगे। अपर समाहर्त्ता, राजस्व लाभ अन्तरण के लिए दो दिनों के अंदर नोडल पदाधिकारी, कृषि विभाग को ऑनलाईन रूप से भेज देंगे तथा नोडल पदाधिकारी एक दिन के अंदर राशि अन्तरण आदेश हस्ताक्षरित करते हुए भारत सरकार के PM KISAN.NIC.IN वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगे। लाभुक को खाता में राशि प्राप्त होने की सूचना बैंक द्वारा

एस0एम0एस0 के माध्यम से दी जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत् अविलम्ब अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /जिला कृषि पदा0, मधेपुरा /सभी अंचल अधिकारी)

(9) स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन :–

जिलाधिकारी द्वारा कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि अपने कार्यकाल में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, मधेपुरा के तहत् चल रहे निर्माण कार्यो की गयी जांच व तदनुसार की गयी कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–जिला योजना पदा0 /कार्य0अभि0,स्था0क्षे0)

(10) स्वास्थ्य :–

❖ ***अस्पताल परिसर*** :– जिलाधिकारी द्वारा अस्पताल परिसर एवं अस्पताल में फैली गंदगी पर खेद व्यक्त किया गया एवं इस संबंध में जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को दिया गया।

❖ ***आशा एवं ममता बहाली*** :– जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ऐसी शिकायत प्राप्त हो रही है कि आशा एवं ममता बहाली में अनियमितता बरती जा रही है, जिस पर खेद प्रकट किया गया तथा सिविल सर्जन, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि आशा एवं ममता बहाली पूरी पारदर्शिता के साथ नियमानुसार करें।

(अनुपालन–सिविल सर्जन /प्रभारी पदा0, जिला गोपनीय शाखा)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

निजी सहायक	प्रभारी पदाधिकारी	जिलाधिकारी
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।	जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।	मधेपुरा।

ज्ञापांक 510 /गो0, मधेपुरा, दिनांक 21-02-2019

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा/ जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मधेपुरा /प्रबंधक, डी0आर0सी0सी0, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा /जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, लोकायुक्त कोषांग, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता /सहायक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा /सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, मधेपुरा /जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निजी सहायक	प्रभारी पदाधिकारी	जिलाधिकारी
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।	जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।	मधेपुरा।